

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 204/2019

1. कल्याण पुत्र श्री मन्ना
 2. रामचन्द पुत्र श्री मन्ना
- जाति मीना निवासी बडोली तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 23.10.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कल्याण वगै0 मु0नं0 230/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री मक्खन शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 03.09.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 23.10.2019 को ग्राम बडोली तहसील दौसा के खसरा नं0 1250 रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) का तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट्स को दोषी मानकर सजा देने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जांच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी पत्रावली में साबित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील सं० 204 / 2019

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा एवं ग्वार की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपीलांट्स की ओर से खसरा नं० 1250 रकबा 0.50 है० किस्म चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट्स के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा